	छत्तीसगढ़ विधान सभा	
	पत्रक भाग - एक	
	संक्षिप्त कार्य विवरण	
षष्ठम् विधान सभा	द्वितीय सत्र	अंक-15

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024</u>

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

<u>1. प्रश्नकाल</u>

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- क्रमशः 03, 06, 10, 15, एवं 16 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः श्री प्रबोध मिंज, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री धर्मजीत सिंह, श्री धरमलाल कौशिक एवं श्रीमती रायमुनी भगत अनुपस्थित रहे ।

(तारांकित प्रश्न संख्या- 11 (क्र. 1574) " पैरादान व उसके परिवहन का भुगतान" एवं प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2476) "कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गोबर खरीदी का भुगतान" विषयों की जांच प्रश्न एवं संदर्भ समिति से कराये जाने की घोषणा की गई।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 32 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

<u>2. पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023, तथा

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 381/एफ 2 (3)/48 संका./2023, दिनांक 12 जुलाई,2023 एवं

(ii) 383/एफ 2 (3)/48 संका./2023, दिनांक 12 जुलाई,2023

पटल पर रखे।

3.पृच्छा

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, सुश्री लता उसेण्डी, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सर्वश्री रोहित साहू, जनक ध्रुव, विक्रम मण्डावी, उमेश पटेल, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा, सर्वश्री इंद्रशाह मण्डावी, बालेश्वर साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे एवं श्री अटल श्रीवास्तव सदस्यों द्वारा विविध विषयों के संबंध में आसंदी का ध्यानाकर्षित किया गया।

4.अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- शून्यकाल की सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिये मेरा मंत्री जी से और जो अधिकारी यहां बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया, इसको गम्भीरता के साथ नोट किया जाये और इस पर आगे की कार्यवाही भी सुनिश्चित हो ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य ने सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाईयों के वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रबोध मिंज, सदस्य ने जिला-सरगुजा, थाना-लखनपुर में मेसर्स स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा एनर्जी स्टोरेज की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य बन्द नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) सुश्री लता उसेण्डी

(2) श्री बघेल लखेश्वर

7. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित **मांग संख्या-1**, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित **मांग संख्या-2,** वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-7,** ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-12,** पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-14,** मछली पालन से संबंधित **मांग संख्या-16,** खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-25**, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-32,** पुनर्वास से संबंधित **मांग संख्या-35,** परिवहन से संबंधित **मांग संख्या-36,** ग्रामोद्योग से संबंधित **मांग संख्या-56,** जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित **मांग संख्या-60,** विमानन विभाग से संबंधित **मांग संख्या-65,** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग **सख्या**-71 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-1, पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-2,** पर निरंक, **मांग संख्या-7,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग-संख्या-12,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-14,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-16,** पर निरंक, **मांग संख्या-25**, पर डॉ.चरणदास महंत, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-32,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-35,** पर श्रीमती अनिला भेंडिया, **मांग संख्या-36,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, **मांग संख्या-56,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्री कुंवर सिंह निषाद,

श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-60,** पर निरंक **मांग संख्या-65,** पर डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, **सख्या-71,** पर डॉ.चरणदास महंत, , श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों एवं कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- श्री कवासी लखमा, सदस्य स्वास्थ्य लाभ लेकर सदन में आये हैं। संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए उनकी उपस्थिति का स्वागत है।

9. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री पुन्नूलाल मोहले,

सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, नीलकंठ टेकाम, रामकुमार यादव,

10. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4 बजे का समय निर्धारित है। चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है। अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाएगा ।

11. वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, द्वारिकाधीश यादव,

(सभापति महोदय (बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अनुज शर्मा, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री ब्यास कश्यप, राजेश मूणत,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री रोहित साहू, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्री धरमलाल कौशिक,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्य सूची के पद क्रम 05 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मांगों एवं कटौती प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) पुर:स्थापित किया ।

रात्रि 7.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-8, शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा